Volume-8, No. 1 Feb.-2021, pp. Hin.01-04

भारत में महिलाओं की दशा और दिशा

श्रीमति विनिता अस्सिटेट प्रोफेसर,
एम.ए. इतिहास, यू.जी.सी. नेट
सूर्यांश कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स मेरठ
उत्तर प्रदेश भारत।

यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवताः जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते है। हड़प्पा सभ्यता से ही भारतीय संस्कृति में नारी को उच्च स्थान प्राप्त था हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष से यह जानकारी मिलती है कि उस समय के परिवार **मातृसत्तात्मक** थे, मातृ देवी की पूजा का चलन था मॉ को जननी के रूप में पूजनीय माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में नारी के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अधिकारो का हनन होने लगा। स्त्रियों के आर्थिक अधिकार तो पहले से ही सीमित थे, परन्तु उनमें और गिरवट आई। देखते ही देखते ऋग्वैदिक व हड़प्पा सभ्यता की सबला नारी अब अबला हो चुकी थी। इस काल में पुरूष और स्त्रियों के जीवन स्तर की गिरावट अगली कई शताब्दियों तक निरंतर गिरती रही।

मुख्य शब्दः ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, ब्रह्मवादनी, सद्योवध, जौहर प्रथा।

वैदिक काल– यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवताः जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते है। हड़प्पा सभ्यता से ही भारतीय संस्कृति में नारी को उच्च स्थान प्राप्त था हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवषेशों से यह जानकारी मिलती है कि उस समय के परिवार **मातृसत्तात्मक** थे, मातृ देवी की पूजा का चलन था मॉ को जननी के रूप में पूजनीय माना जाता था।

ऋग्वैदिक काल– ऋग्वैदिक काल में स्त्री को उच्च स्थान प्राप्त था। यद्यपि इस समय परिवार मातृसत्तात्मक न होकर पितृसत्तात्मक थे। फिर भी स्त्री को पुरूष के समकक्ष ही माना जाता था। स्त्री सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक उत्सवों में बढ़–चढ़ कर भाग लेती थी। राजनीतिक संस्थाएँ सभा–समिति का मुख्य हिस्सा हुआ करती थी। व समाज व घर में छोटे बड़े निर्णयों में स्त्री की सहमति आवश्यक समझी जाती थी।

स्त्री की शिक्षा– ऋग्वैदिक काल में पुत्र व पुत्री दोनों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। कन्या भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई विद्यारम्भ करती थी। ऋग्वैदिक काल में छात्राओं के दो वर्ग होते थे 1. ब्रह्मवादनी 2. सद्योवधु

'ब्रह्मवादनी'– वे कन्या थी जो विवाह न करती तथा सम्पूर्ण जीवन शिक्षा ग्रहण करती थी।

'सद्योवधु'– वे कन्या थी जो विवाह होने के पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करती थी।

ऋग्वैदिक काल की विदुशी स्त्रियों में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, गार्गी, मैत्रेयी, विशवारा, आदि स्त्रियॉ वैदिक मंत्रों की रचना के लिए भी जाती है।

इस काल 'विधवा पुर्नविवाह' का भी उल्लेख मिलता है।

पुरूष विवाह के बाद ही अपनी पत्नी के साथ यज्ञ अनुष्ठानों आदि धार्मिक कार्यों कर सकता था। पुरूष को पत्नी के बिना अपूर्ण माना गया था इसलिए स्त्री को पुरूष की 'अर्द्धगिनी' कहा गया है

ऋग्वैदिक काल में स्त्रीयों की आर्थिक स्थिति

ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का अधिकार केवल उस धन पर होता था। जो उसे विवाह के समय या बाद में अपने सम्बन्धियों द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त होता था।

यह धन रत्नों आभूषनों वस्त्रों आदि के रूप में होता था। ऋग्वैदिक काल में इस धन को स्त्रीधन का नाम दिया गया है। समय के साथ आये बदलाव में उपहार स्वरूप प्राप्त धन की गणना चल सम्पति के रूप में की जाने लगी।

उत्तर वैदिक काल– उत्तर वैदिक काल का समय 600 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 300 वर्ष ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी इस काल में सभा व समिति जैसी राजनीतिक संस्थाओं में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो

गया "एतरेव, ब्राह्मण" में पुत्रों को परिवार का रक्षक व पुत्रियों को दुःख का कारण माना जाने लगा।
"भैत्रेयी संहिता", में स्त्री की गणना धूत, व मदिश, के समान की गई।
"तैत्तिरीय संहिता", नारी की गणना शूद्र वर्ण से भी नीचे की गई।
नारी के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अधिकारों का हनन होने लगा। स्त्रियों के आर्थिक अधिकार तो पहले से ही सीमित थे। उनमें और गिरवट आई।
देखते ही देखते ऋग्वैदिक व हड़प्पा सभ्यता की सबला नारी अब अबला हो चुकी थी। इस काल में पुरूष हुई स्त्रियों के जीवन स्तर की गिरावट अगली कई शताब्दियों तक निरंतर गिरती रही।

मध्यकाल में स्त्री की स्थिति

मध्यकाल आते–आते भारतीय स्त्री की स्थिति में और अधिक गिरावट आ गई इस समय समाज में अनेक कुरीतियों ने जन्म ले लिया जैसे– '**बाल–विवाह,' सती प्रथा,** और राजपुताना में एक **जौहर** नामक प्रथा का जन्म हो गया जो एक सामुहिक आत्मदाह था ये कुप्रथाऐं हिन्दू समाज में अधिक थी। जिन प्रथाओं का नाश करने में शताब्दियों का समय लगा था।

इस्लाम में महिलाओं की स्थिति– मुसलमानों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में नई शक्तियों का उदय हुआ इस्लामी देशों में मुस्लिम महिलाओं को पर्दे के पीछे रखने की परम्परा थी। उनके लिए भारत एक विदेश था इसलिए यहां पर पदी प्रथा पर ज्यादा जोर दिया गया हिन्दुओं ने भी अपनी घर की महिलाओं को मुस्लिम आक्रान्ताओं की दृष्टि से बचाने के लिए पर्दा प्रथा को अपना लिए **उदाहरण**– दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा न के बराबर थी क्योंकि मुसलमानों का वर्चस्व वहां कम था। तो वहां की संस्कृति पर मुस्लिम प्रभाव भी कम पड़ा।
मध्यकाल में भी उच्च वर्ग की महिलाओं का समाज में विशेष योगदान रहा मुस्लिम शासकों ने राजमहल में हरम की व्यवस्था कर रखी थी। जहां उनकी पत्नियाँ, उपपत्नियाँ दासियाँ सेविकाऐं निवास करती थी।
हरम में शासक की माँ का स्थान उच्च होता था। उसके पश्चात शासक की प्रथम पत्नी का विशेष स्थान था।
हुमायूं की पत्नी हमीदा बानू एक बुद्धिमति महिला थी अकबर की पत्नी सलीमा बेगम दूरदर्शी महिला थी। जहॉगीर के शासनकाल में नूरजहां का राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप था उनके नाम के सिक्के भी ढ़लाथे थे। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब के दूत बनाने का अविष्कार किया शहाजहॉ की पत्नी मुमताजमहल उसकी प्रमुख सलाहकार थी। मुमताज की मृत्यु के बाद पुत्री जहाँआरा अपने पिता शहाजहाँ की सलाहकार बनी थी और वह उच्चकोटि की कवयित्री थी।
ये स्थिति सिर्फ उच्च वर्ग उमरा वर्ग तक सीमित थी जनसाधारण की स्त्रियों को ये सम्मान प्राप्त नहीं था। हरम में तो स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती थी निग्न वर्ग की स्त्रियां शिक्षा से वंचित रहती थी। उनका पुरा जीवन समाज में प्रचलित बुराईयों को ढ़ोने में व्यतीत हो जाता था।
उच्च वर्ग की तुलना में निम्न वर्ग की स्त्रियों की दशा दयनीय थी। वे उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा करके अपनी जीविकोपार्जन करती थी।
हिन्दुओं व मुसलमानों दोनों वर्गों में पुत्री का जन्म अभिशाप माना जाता था। केवल पुरूष वर्ग ही पुत्री के जन्म को अभिशाप नही मानता था बल्कि दादी व बेटी की मॉ भी अभिशाप मानती थी। कई जगह तो पुत्री के जन्म लेने के बाद उसे मार दिया जाता था।
ये कार्य अधिकतर घर की बड़ी औरत द्वारा ही कराया जाता था पुत्री को जन्म देने वाली माँ को वह मान सम्मान नहीं प्राप्त होता था जो मान सम्मान पुत्र को जन्म देने वाली मॉ को मिलता था। एक विचित्र प्रथा का चलन था कन्या के जन्म लेने पर कहा जाता था कि एक पत्थर पैदा हुआ है।

नारी के प्रति दृष्टिकोण– अगर मध्यकाल में नारी के प्रति दृश्किोण की बात करें तो पूजनीय भावना को हटाकर भोग्या की भावना से ग्रस्त हो गया। राधा और सीता पार्वती अब शक्ति का प्रतीक न रहकर यौवनोन्मत रानी या नायिका का प्रतिरूप रह गई। इन रानियों का पीछा कामदेव करने लगा नारी का जैसे कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व ही नहीं है। वह मात्र पुरूष की इच्छा का खिलौना हो बहुविवाह का प्रचलन जोरो पर था। विजयनगर के विषय में **निकोलो कोन्टी और पेइज** ने लिखा है। कि राजा के हरम में कुल मिलाकर 12 हजार रानियाँ थी। **बीसलदेव** ने भी अनेक स्त्रियों से विवाह किया था उनके हरम में सबसे दुलारी पत्नी के रूप में धार के परमार राजा भोज की पुत्री राजमती ने प्रवेश पाया।
मुगल हरम के विषय में मनुची लिखता है कि मुसलमानों के मन बहलाव व मनोरंजन का साधन स्त्रियां थी। इसलिए उन्होनें बडे पैमाने पर खर्च कर धर्म जाति का ख्याल न करते हुऐ हरम को दिलकश बनाने की कोशिश की।
"शाहजहाँ के स्त्री–प्रेम के बारे में **मैनरिक** लिखता है कि शहाजहॉ को एक ही बात की परवाह थी ओर वह कि औरतों की खोज की जायें और उसके साथ ऐश किया जाये।"
मुगलकाल में सतीप्रथा बाध्यकारी सी हो गई थी। जिसका मुख्यतः कारण विधवा होने के बाद का

कष्टकारी व अपमान जनक जीवन था। ऐसा जीवन जीने के बजाय विधवा स्त्री पति के साथ जलकर कष्टपूर्ण मृत्यु को श्रेयस्कर मानती थी– विधवा स्त्री के प्रति समाज का दोष पूर्ण व्यवहार व समाज में परिवार को सम्मान दिलाने के लिए स्त्री को सती होना पड़ता था।

उस समय अगर कोई विधवा स्त्री पति के साथ सती नहीं होती थी। तो उसके परिवार को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। दूसरी और सती होने वाली स्त्री के परिवार को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। समाज के इसी दोषपूर्ण नजरिये ने सती प्रथा जैसी कुप्रथा को बढ़ावा दिया यह प्रथा हिन्दू समाज में ही व्यापत थी।

इब्नतूता, मनूची, पेलसर्ट, बर्नियर टैवरनियर तथा फोस्टर लगभग सभी तत्तकालीन विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रावृतान्त में किसी न किसी रूप में सती प्रथा का वर्णन किया है।

सती प्रथा का एक अन्य प्रारूप जौहर प्रथा थी। किसी युद्ध अभियान में गये जब उनके पति के लौटने की आशा कम रह जाती तो उस राज्य की स्त्रियां मिलकर 'जौहर' अर्थात किसी खड़डे में आग लगाकर उसमें सामुहिक रूप से आत्मदहा कर लेती थी इसे ही जौहर कहा जाता था। ये प्रथा अधिकतर राजपूतों में प्रचलित थी।

मध्यकाल में प्रचलित देवदासी प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही परम्परा का ही विस्तार था।

माकेपिलो लिखता है– माता–पिता कभी–कभी अपनी अविवाहित पुत्रियों को उन देवताओं के मंदिरो में जिनमें अपार श्रद्धा थी, पर्व समारहों में नाचने गाने के लिए भेज दिया करते थे।

राजंतरगिणी में भी कश्मीर के मंदिरों में देवदासियों की उपस्थिति का वर्गन मिलता है।

आर्थिक स्थिति– मध्यकाल भारत में मुस्लिम महिलाओं को अधिकार के तौर पर उनके पिता के परिवार से एक निश्चित हिस्सा मिलता था। शादी के पश्चात भी उसे यह अधिकार प्राप्त था। किन्तु हिन्दू महिलाओं को जीवन यापन हेतु आवासीय खर्च के साथ आभूषण इत्यादि लेने का अधिकार प्राप्त था। इस तरह से महिलाओं की स्थिति ओर खराब हो गई थी। और वो अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष में किसी दूसरे पर आश्रित थी। चोल शासक के दौरान दक्षिण भारत में महिलाओं को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार था।

मध्यकाल में नैतिक मूल्यों का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया था। राजनीतिक, सामाजिक, स्तर पर पतन की कोई सीमा न थी धर्माधंता कुछ भी करा सकती थी। हरम–प्रथा प्रधान समाज में उभर रही थी मुगल बादशाहों की विलासिता जनता में अपनी नैतिकता खो चुकी थी पाय–पुण्य की परिभाषा गडबड़ा चुकी थी राजकुमार राजकुमारियों की शिक्षा में संस्कारो का अभाव था। जिससे वे पथ भृष्ट हो गये और राजा रमणियों की गोद में गिरे पड़े थे नैतिक पतन के इस घोर काल में उदात–मानव गुण भटक रहे थे।

आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति

आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति को दो स्तर पर रखते है–

1. स्वतन्त्रता पूर्व महिलाओं की स्थिति
2. स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं की स्थिति

स्वतन्त्रता पूर्व महिलाओं की स्थिति–

18वीं शताब्दी के अन्त से लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक का काल इसमें आता है इस समय भारत पर अग्रेजों का शासन था इस काल में भारतीयों ने समाज सुधार के अनेक प्रयास किये लेकिन अंग्रेजी सरकार का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था इस काल में स्त्री दशा खराब होने के विभिन्न कारणों में से मुख्य कारण शिक्षा का अभाव था। इस काल में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया जिससे उनका जीवन स्तर परिवार तक सीमित रह गया।

पुरूषों पर निर्भरता का मुख्य कारण यह था। क्योंकि उन्हें पति व पिता की सम्पत्ति से वंचित रखा गया। सम्पत्ति पर अधिकार न होने के कारण स्त्री पूर्णतया पुरूष के अधीन थी। इसलिए स्त्री अमानवीय व्यवहार के पश्चात् भी पुरूष की दया पर आर्थिक रूप से आश्रित थी।

बाल विवाह, संयुक्त परिवार प्रथा वैवाहिक कुरीतियॉ मुसलमानों के आक्रमण आदि कारणों से लगातार स्त्रियों का स्तर निरन्तर गिरता चला गया।

आधुनिक भारत में सुधार आन्दोलन

सुधार आन्दोलन में मुख्य नाम राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर डी कर्वे, महर्षि दयानन्द, केशवचन्द, महादेव गोविन्द रनाडे ने स्त्री शिक्षा व स्त्री सुधार में विशेष योगदान दिया है।

ब्रह्य समाज की 1828 में स्थापना करके राजाराम मोहन राय ने 1829 मे सती प्रथा निषेध अधिनियम बना राजाराम मोहन राय ने महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार देने, बाल विवाह समाप्त करने एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये–

ईश्वरचन्द विद्यासागर ने व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की दशा सुधारने के लिए विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। बहुपत्नी विवाह सम्बन्धी परम्परागत नियमों का विरोध किया। स्त्री शिक्षा पर बल दिया अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके आदर्श प्रस्तुत किया। उनके प्रयत्नों से 1856 में 'हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम' पास हो गया समाज सुधारको के प्रयासों

से ही 1891 में "ऐज ऑफ कन्सेन्ट" बिल पास हुआ। जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी गई।

अंग्रेजों द्वारा पारित कानूनों में

1. सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829
2. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856
3. बाल–विवाह निरोधक अधिनियम 1929

हरविलास शारदा के प्रत्यनों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना जिसे 'शारदा एक्ट' के नाम से भी जाना जाता है।

हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937 ई. में बना। इस अधिनियम द्वारा हिन्दू विधवा स्त्री को उसके पति की सम्पत्ति में अधिकार दिया गया।

किसी कारण से पति से अलग रह रही पत्नी को भरण–पोषण मिलेगा यह अधिकार 1946 ई. के अधिनियम में स्त्री को मिला।

1947 के पश्चात् महिलाओं की स्थिति

स्वत्रन्ता प्राप्ति के पष्चात् भारतीय नारी की स्थिति में और भी अधिक सुधार हुआ। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, से लेकर हर क्षेत्र में स्त्रियों ने सक्रिय भूमिका निभाई आज समाज के सभी पहलुओं में महिलाओं के विचार और उनकी भागीदारी पहले से कही अधिक महत्वपूर्ण है।

राजनीति– नेहरू सरकार कैबिनेट में एक महिला थी राजकुमारी अमृतकौर जिन्हे हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज सौपा गया था इसके बाद **इंदिरा गांधी**, **मोहसिना किदवई**, ममत्ता बनर्जी, मायावती, जयललिता, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी आदि राजनीति में अपना लोहा मनवा चुकी है।

भारत की पहली महिला आई पी एस **किरण बेदी** विज्ञान में सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला आदि प्रमुख है।

लेकिन इन सब के बाद भी वर्तमान भारत में कन्या भ्रूणहत्या जैसा दंश एक बार फिर चुनौती बनकर समाने आया है। हालांकि इस दिशा में लगातार हमारी सरकार प्रयास रत है।

लिगांनुपात– भारत में साल 2001 की जनगणना के अनुसार 0–6 साल के बच्चों का लिंग अनुपात 1000 लड़कों पर 927 था। जो कि यह साल 2011 की जनगणना में घटकर 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां रह गई। अतः यह एक संवेदनशील मुददा है।

भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सरकार के प्रयास "बेटी बचाओ– बेटी पढ़ाओं", योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर से शुरू की गई **लाडली योजना 2008 में सबला योजना 2011** में शुरू की गई। **उत्तर प्रदेश** में मुखबिर योजना– इस योजना के अन्तर्गत भ्रूण हत्या को रोकने व कन्या जन्म को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें हेल्पलाइन नंबर 181 व 64 रैस्क्यू वेन भी तैयार की गई है।

निराश्रित पेंशन योजना– इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में 500 रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

भाग्य लक्ष्मी योजना– 2021 (मनी फॉर गर्ल चाइल्ड) राज्य सरकार की इस पहले से कन्या भ्रूण हत्या रोकने व बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।

महिला सशक्तिकरण– महिला सशक्तिकरण एक ऐसी विचारधारा से है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व उन्हें आत्मनिर्णयन का अधिकार प्रदान करने व समाज में समता आधारित भागीदारी सुनिश्चित करने का समर्थन करती है।

जनवरी 2020 में प्रकाशित विश्व बैक की रिपोर्ट 'वूमैन बिजनेस एण्ड लां', 2020 के अनुसार आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में विश्व के 190 देशों में भारत का स्थान 117 वॉ है। यह चिन्ता की बात है। कि भारत की रैकिंग रवांडा और लेसोथो जैसे अल्पविकसित देषों से भी पीछे है।

अतः अभी सरकार को समाज को इस विषय पर और कार्य करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत सोच को बदलना आवश्यक है। हमें फिर से ऋग्वैदिक काल का सम्मान स्त्री को वापस दिलाना है।

सन्दर्भ–

1. www. You tube.com
2. www. Drishtiias.com>daily-updates
3. www. Google.com
4. हरिशच्द्र वर्मा जनवरी 2017 नंगली सकरावती इण्डस्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली –43 द्वारा मुद्रित पृ. 603
5. बिपिन चन्द्र आजादी के बाद का भारत (1947–200) मोहम्मदपुर नई दिल्ली द्वारा मुद्रित पृ. 591
6. स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास 2019 ए 1291 प्रथम तल, जनकपुरी नई दिल्ली 110058 पृ. 78
7. ट्रूमैन यू जी सी नेट इतिहास दानिका पब्लिकेशन कम्पनी 4352/46 अंसारी रोड दरियांगज नई दिल्ली– 110002 पृ. 463